संस्था के निबंधन हेतु आवेदन- पत्र

सेवा में,

निबंधन महानिरीक्षक ,

झारखण्ड राँची ।

विषय :- ..... (यहाँ संस्था का नाम लिखे) नामक संस्था के निबंधन हेतु आवेदन ।

महाशय,

सविनय निवेदन के साथ कहना है कि मैं ..... नामक संस्था के निबंधन हेतु दो प्रतियों में निम्नलिखित कागजात जमा कर रहा हूँ।

अनुरोध है कि संस्था निबंधन अधिनियम, 21,1860 के अन्तर्गत इस संस्था को निबंधित करने की कृपा की जाय ।

1. आमसभा का प्रस्ताव
2. स्मृति-पत्र
3. नियमावली
4. इस आशय की शपथ पत्र कि संस्था के आलेख्य में दी गई जानकारी सत्य है ।
5. 50/- रूपये का कोषागार चालान ।
6. सभी पदाधिकारियों का आवसीय प्रमाण ।
7. निबंधित डाक टिकट युक्त लिफाफा -2

विश्वासभाजन

(संस्था की आम सभा द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम पदनाम एवंहस्ताक्षर)

(संस्था के निबंधन हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आलेख्य का नमूना)

संस्था की आमसभा की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक ..... को.....
नामक संस्था की आमसभा की बैठक संस्था के अध्यक्ष श्री/श्रीमती..... की अध्यक्षता में संस्था के कार्यालय परिसर जो मकान सं0 ...../होल्डिंग न0.....गली/रोड संख्या.....
.....मुहल्ला .....पो0..... थाना .....ग्राम/शहन,.....
.....जिला.....में सम्पन्न हुई जिसमें सर्वसम्मति से निम्नांकित प्रस्ताव पारित किए गए :-

प्रस्ताव सं0 -1
सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ..... नामक संस्था का निबंधन अधिनियम 21,1860 के अन्तर्गत करा लिया जाय ।

प्रस्ताव सं0 -2
सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि निबंधन विभाग, झारखण्ड से इस संस्था का निबंधित कराने हेतु सभी कार्रबाई करने हेतु संस्था के (पदनाम) ..... श्री/श्रीमती को प्राधिकृत किया जाय ।

ह0 /-
अध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था की आमसभा के प्रस्ताव की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष सचिव

.....

(यहाँ संस्था का नाम भरें)

का

<u>स्मृति-पत्र</u>

1 संस्था का नाम

2 संस्था का निबंधित कार्यालय:- मकान सं0 ...../होल्डिंग न0.....

गली/रोड नाम्..... संख्या.....मुहल्ला

.....पो0..... थाना

.....ग्राम/शहन.....

जिला.....

(जो लागू न हो उसे काट दें)

3 कार्यक्षेत्र :-

4 संस्था का उद्देश्य :- (उद्देश्य संक्षिप्त, स्पष्ट एवं विशिष्ट हो)

i)

ii)

iii)

iv)

v)

5. संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :-

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम , पिता / पति का पुरा नाम , पूर्ण पता, उम्र , शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एंव हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य है :-

क्र0	नाम, पिता/ पति का पुरा नाम	पूर्ण पता मकान सं0/ होल्डिंग नं0/गली/रोड सं0-	शैक्षणिक योग्यता	उम्र	पदनाम पेशा	हस्ताक्षरयुक्त स्टाम्प साईज का फोटो
1	श्री/सुश्री..... ..... पिता/पति का नाम्.....					
2						
3						
4						
5						
6						
7						

टिप्पणी :- पूर्णपता नहीं रहने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे । हस्ताक्षर पूर्ण रूप से होना चाहिए प्राक्षर (Initial) मान्य नहीं होगा ।

(यहाँ संस्था का नाम भरें)

की

नियमावली

1. परिभाषा :-

(क) संस्था से अभिप्राय है :-

(ख) समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

(ग) वितीय वर्ष से अभिप्राय है :- --

(घ) आमसभा से अभिप्राय है :- संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा ।

(ड) पदाधिकारी से अभिप्राय है :-

(च) अधिनियम एवं नियम से अभिप्राय है :- संस्था निबंधन अधिनियम 21,1860 एवं बिहार संस्था निबंधन नियमावली 1965 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत तथा अधिसूचना संख्या 726 दिनांक 18-11-2005 से यथासंशोधित)

2. संस्था की सदस्यता की शर्ते :-

3. संस्था की सदस्यता की समाप्ति :-

4. कार्यकारिणी समिति गठन :-

(i) संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित कुल ..... सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल ..... वर्षो का होगा ।

(ii) .....

(iii) .....

5. कार्यकारिणी समिति का कार्य एंव अधिकार :-

6. पदाधिकारियों का कार्य एंव अधिकार :-

7. आमसभा का कार्य एंव अधिकार :-

(i) पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन ।

(ii) संस्था की योजना, बजट, अंकेक्षण लेखा एंव प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना ।

(iii) संस्था की लेखा के अंकेक्षण की नियुक्ति करना ।

(iv) संस्था के स्मृति- पत्र एंव नियमावली में संशोधन लाना ।

(v) संस्था के विघटन पर निर्णय लेना ।

(vi)

(vii)

(क्रमांक (i) से (v) तक अनिवार्य है एंव अन्य कार्य एंव अधिकार आवश्यकतानुसार रख सकते हैं)

8. आम सभा की बैठकें -

(क) आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष में एक बार होगी तथा आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

(ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एंव बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर संस्था के सचिव को आमसभा की बैठक बुलानी होगी। यदि तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नही बुलाई जायेगी तब अधियाचना करने के विषय में विचार विमर्श किया जायेगा ।

(ग) बैठकी की सूचना :-

(i) आम सभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिनों पूर्व दी जायेगी।

(ii) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जायेगी ।

9 कार्यकारिणी समिति की बैठकें :-

10 आय का श्रोत :-

11 कोष की व्यवस्था/बैंक खाते का संचालन :-

संस्था के प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ संस्था के नाम किसी बैंक/ डाकघर में खुले खाते में रखी जायेगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के कोषांध्यक्ष एंव ..... के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

12 अंकेक्षण :-

(क) संस्था की लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्ति अंकेक्षण कराया जायेगा ।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कर सकते हैं जिसक शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

13. संशोधन :-

संस्था के स्मृति पत्र एंव नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21,1860 की संगत धारा एंव झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णत: पालन किया जायेगा ।

14 पंजी का निरीक्षण :-

संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्में रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य/ सरकारी अधिकारी सचिव की पुर्व अनुमति से उसका निरीक्षण कर सकते हैं ।

15 कानूनी कारवाई :-

संस्था द्वारा या संस्था के विरूद्ध कोई भी कानूनी कारवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगी ।

16 संस्था का विघटन एंव विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था :-

(1) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवशयकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जाएगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा । आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी ।

(2) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या वाहय व्यक्ति को नही दी जाएगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्वेश्य वाली झारखण्ड राज्य मे निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 की धारा

13 एंव 14 के आलोक में अनुमति प्राप्त कर ही करेगी ।

(3) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 की धारा 13 एंव 14 के आलोक में अनुमति प्राप्त कर ही करेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था के नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव